

29.04.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज खाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सत्यमेव जयते

*Qwyo*

हस्ताक्षर कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

